संख्या-6/एफ1-306/16 श्र0सं0

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

शैलेश कुमार

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय: राज्य योजना बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007 के वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में राज्य योजना बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007 के वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयन हेतु बीड़ी श्रमिकों को देय प्रति मकान अंशदान ₹ 5000/- में से प्रति मकान ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र के अनुदान की दर से 1000 बीड़ी श्रमिकों के लिए कुल ₹ 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2063/वि० दिनांक-11.03.2016 के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि०(2)दिनांक-03.01.2008 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह चालू योजना है ।

3. इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी ''मुख्य शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष 109- बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग सं०- 26-उपशीर्ष 0101 बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड- पी 2230011090101) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB 5232 के अन्तर्गत ''चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट में उपबंधित इकाई सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा (31-06) से विकलनीय होगी। इस योजना के अन्तर्गत बजट उपबंध एवं उद्व्यय स्वीकृत है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।

5. इसकी निकासी संबंधित जिला कोषागार से होगी ।

6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. इस राशि की विमुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने अंश के अनुदान की राशि विमुक्त होने के उपरांत की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शैलेश कुमार)

संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 6/एफ1-306/16 श्र0सं0:- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कल्याण आयुक्त, करमा, पोस्ट झुमरीतिलैया जिला-कोडरमा (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञाप संख्या- 6/एफ1-306/16 श्र0सं0- 2138 पटना, दिनांक 17-5-16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त के सचिव पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-4 (श्रम पक्ष) / प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को 01 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 16/5/16

(शैलेश कुमार)

संयुक्त सचिव ।

16/5/16